

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-कोण्डागांव (छ०ग०)

//विज्ञापन//

क्रमांक/ 79 /सामा.निर्वा./स्थापना/2023

कोण्डागांव दिनांक 27/05/2023

छ०ग० शासन विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग के पत्र क्रमांक/241/स्था/वि.स.नि./2023/1649 रायपुर दिनांक 11.05.2023 के द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए कोण्डागांव जिले के जिला निर्वाचन कार्यालय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अनुविभागीय अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) कार्यालयों हेतु निम्नानुसार आरक्षण एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार पदों की भर्ती हेतु दिनांक 09/06/2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र	पदनाम	कुल पद	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनारक्षित	
			मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	सहायक ग्रेड-3 (प्रतिनियुक्ति/संविदा) जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु	05	-	-	02	01	01	-	01	-

नियुक्ति प्राधिकारी :- नियुक्ति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-कोण्डागांव द्वारा की जावेगी।

शैक्षणिक योग्यता/वेतनमान/तकनीकी अर्हताएं

- सहायक ग्रेड-3 प्रतिनियुक्ति/संविदा (दिनांक 01.06.2023 से 30.11.2023 तक)
 - (अ) सेवा श्रेणी-तृतीय
 - (ब) सातवें वेतनमान के मान से मेट्रिक लेवल-04 के अनुसार देय संविदा वेतन एकमुश्त।
 - (i) मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण ।
अथवा
पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
 - (ii) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा /प्रमाण पत्र ।
 - (iii) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईपिंग का 5,000 की (Key) डिप्रेसन प्रतिघंटा गति ।
(गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)
 - (स) कोण्डागांव जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

• भृत्य (दिनांक 01.06.2023 से 30.11.2023 तक)

(अ) सेवा श्रेणी-चतुर्थ (अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए)

(ब) पांचवी परीक्षा उत्तीर्ण । छत्तीसगढ़ राज्य के मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से प्राथमिक प्रमाण पत्र कक्षा 5वीं उत्तीर्ण हो।

(स) कोण्डागांव जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

नियम एवं शर्तें :-

01. विज्ञापित पदों को सर्वप्रथम प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे। प्रतिनियुक्ति हेतु अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में रिक्त पदों को संविदा आधार पर भरा जावेगा। प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पदों की पूर्ति की जाती है, तो सहायक ग्रेड-03 संविदा पद का आवेदन अमान्य किया जावेगा।
02. संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय संविदा भर्ती नियम के विहित प्रावधान के तहत देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की सुविधा/भत्ता प्रदाय नहीं किया जावेगा।
03. उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 01.01.2023 की स्थिति में 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी तथा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष।
04. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि सहित उम्मीदवार का आवेदन दिनांक 09/06/2023 तक कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कोण्डागांव में प्राप्त हो जाना चाहिए।
05. आवेदन पत्र के साथ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
06. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र व दिनांक लेख कर स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
07. कोई भी पुरुष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई महिला उम्मीदवार, जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।
08. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
09. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
10. कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक सन्तान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
11. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जायेगी, ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
12. नियुक्ति हेतु सिफारिश कराने वाले, किसी भी प्रकार का दबाव डलवाने वाले आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

//03//

13. लिफाफे के ऊपर पद का नाम एवं आवेदक का नाम व पता अवश्य लिखें।
14. जन्मतिथि दर्शाने वाली शैक्षणिक योग्यता प्रमाण की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
15. अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
16. आवेदक आवेदन पत्र के साथ एक लिफाफा अपने नाम एवं पूर्ण पता अंकित कर एवं 27 रूपये के डाक टिकिट चस्पा कर आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
17. शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।
18. आवेदन पत्र में असत्य जानकारी देने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा, साथ ही नियमानुसार आवेदक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
19. यदि आवेदक एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हो, तो पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
20. यह पद पूर्णतः अस्थाई है। भविष्य में किसी भी प्रकार की सेवा वृद्धि शासन के अनुमति उपरांत विचार किया जा सकता है।
21. यह प्रतिनियुक्ति/संविदा/कलेक्टर दिनांक 01.06.2023 से 30.11.2023 तक के लिए होगी। दिनांक-30.11.2023 उपरांत नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी।
22. यह नियुक्ति राज्य शासन की छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम-2012 के अध्याधीन होगी।
23. किसी भी विवाद/आपत्ति में अंतिम निर्णय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला-कोण्डागांव का होगा।
24. प्राप्त आवेदन के मेरिट अनुसार 1 अनुपात 5 के मान से अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जावेगा।
25. चयन प्रक्रिया :-
 - (क) सहायक ग्रेड-03 के लिए :-
 - (1) शैक्षणिक योग्यता का 60 प्रतिशत अंक।
 - (2) कौशल परीक्षा का 30 अंक।
 - (3) अनुभव का अंक 10 अंक। (पूर्ण 01 वर्ष का अनुभव में 02 अंक, 02 वर्ष का 03 अंक एवं 03 वर्ष से अधिक 05 अंक बोनस अंक दिया जावेगा।)
 - (ख) भृत्य के लिए :-
 - (1) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की मेरिट सूची के आधार पर।
 - (2) अनुभव का अंक अधिकतम 10 अंक। (पूर्ण 01 वर्ष का अनुभव में 02 अंक, 02 वर्ष का 03 अंक एवं 03 वर्ष से अधिक 05 अंक बोनस अंक दिया जावेगा।)
26. पूर्व में निर्वाचन संबंधी कार्य कर चुके कर्मचारियों को प्राथमिकता दिया जावेगा।
27. विज्ञापन/आवेदन प्रारूप जिले की वेबसाइट www.kondagaon.gov.in एवं कलेक्टर कार्यालय तथा तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध है।
(जिला चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

जिला-कोण्डागांव

08. पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता :-.....

09. स्थायी पता :-.....

10. दूरभाष/मोबाईल नंबर :-.....
11. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन
 क्रमांक एवं दिनांक (सत्यापित प्रति संलग्न करें) :-.....
12. क्या आप शासन द्वारा मान्य अजा/अजजा/अपिव
 के सदस्य हैं? यदि हां तो वर्ग लिखें एवं सक्षम
 अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति
 संलग्न करें) :-.....
13. क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है? :-.....
 (यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल
 निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
14. क्या आवेदक विवाहित है? हां/नहीं :-.....
 (अ) यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि :-.....
 (ब) जीवित संतान की संख्या :-.....
 (स) यदि दो से अधिक जीवित संतान है, तब
 अंतिम संतान की जन्मतिथि :-.....
15. यदि आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में
 कार्यरत हो तो विवरण (नियोक्ता का अनापत्ति
 प्रमाण-पत्र संलग्न करें) :-.....

//3//

16. संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची

:- 01-.....

02:-.....03:-.....04:-.....

05:-.....06:-.....07:-.....

दिनांक:-.....

स्थान:-.....

आवेदक के हस्ताक्षर

एवं नाम /पता.....

.....

.....

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि झूठी पायी जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी ।

दिनांक:-.....

स्थान:-.....

आवेदक के हस्ताक्षर